भारत में मानव अधिकारों की दयनीय दशा
और सिकुड़ते लोकतान्त्रिक दायरे पर
भारतीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा घोर चिंता व्यक्त!
संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी रपट

Indian NGOs slam India's human rights situation &
shrinking democratic space in report to UN

कई गैर-सरकारी संगठनों ने कुछ विवेचित मुद्दों पर भारत सरकार का बहुत खराब हिसाब-किताब होने की कड़ी आलोचना की है, जैसे कि नागरिक अधिकारों पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने, ऍफ़.सी.आर.ए. [Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010] का इस्तमाल कर नगरीय समाज को बंधित करने; सिकुड़ते जनतांत्रिक दायरे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेद-भाव, और महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की दुर्दशा पर.

इनके आलावा तमाम अन्य मुद्दों को भारत में मानव अधिकारों की समग्र परिस्थिति पर तैयार एक संयुक्त साझेदारों की रपट में उजागर किया गया है, जिसे भारत और संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार पर कार्यशील समूह (The Working Group on Human Rights -- WGHR-- in India and UN) द्वारा १२ जनवरी, २०१७ को नई दिल्ली में प्रसारित किया गया.

इस रपट को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की परिषद् (UN Human Rights Council) को सौंपा गया, जिसे मई २०१७ को जिनेवा में आयोजित भारत की तीसरी सार्वभौमिक मियादी समीक्षा (Universal Periodic Review) के दौरान पेश किया जायेगा. इस प्रक्रिया के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के १९३ सदस्य राज्यों द्वारा भारत के मानव अधिकार रिकॉर्ड, कर्तव्यों और प्रग्तिबध्ताओं का मूल्यांकन मानव अधिकार परिषद् (UN Human Rights Council) की बैठक के दौरान किया जायेगा. देश के प्राय: सभी राज्यों से एक हज़ार से अधिक गैर-सरकारी संगठनों, वकीलों, और कार्यकर्ताओं ने इस रपट का अनुमोदन किया है.

इस मौके पर **वर्किंग ग्रुप आन ह्यूमन राइट्स** (Working Group on Human Rights) के संयोजक श्री हेनरी तिफाने एक वक्ता थे, जिन्होंने विस्तार से भारत में नगरीय समाज के सिकुड़ते जनतांत्रिक दायरे के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्रों की विभ्भिन्न संस्थानों और तमाम सरकारों ने भारत सरकार द्वारा कठोर पाबंदियों और कारवाही पर चिंता व्यक्त की है.

उन्होंने कहा कि पूरे देश से १००० से अधिक संगठनों ने इस रपट का अनुमोदन करते हुए भारत सरकार द्वारा नगरीय समाज के साथ संवाद की ज़रुरत पर ध्यान आकर्षित किया है, जो मई माह सन २०१७ में आयोजित यू.पी.आर. के प्लेनरी सत्र के पहले बुलाना ज़रूरी है.

उन्होंने इशारा किया कि " वैसे तो भारत विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन असहमति और प्रतिरोध के मौलिक अधिकारों को कुचलने की कीमत पर कोई भी विकास संभव नहीं, जो हमारे जनतंत्र के मौलिक तत्व हैं."

'हक़' नामक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की सह-महानिदेशिका, सुश्री इनाक्षी गांगुली ने बताया कि भारत अपने राष्ट्रिय बजट का मात्र ४ प्रतिशत ही बच्चों पर खर्च करता है. उन्होनें कहा कि दुखदायी बात तो यह है कि एक देश जो पिछले तीन वर्षों में ही अपने को ग्लोबल मुखिया बनने का दावा करता है, उसने दूसरी यू.पी.आर. के समय से आज तक बच्चों की स्थिति और दशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं दिखाई है. उन्होनें **किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** [Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015] नामक नए कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें "एक प्रतिगामी प्रावधान शामिल किया गया है जो १६ से १८ वर्ष की आयु के लोगों को गंभीर अपराधों के लिए अपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल करने के लिए छूट देता है, और जिसके फलस्वरूप बच्चों के मामलों में मापदंडों में गिरावट हुई है, जो कानून के विपरीत है".

मानव अधिकारों की वरिष्ट अधिवक्ता सुश्री वृंदा ग्रोवर ने चिंता व्यक्त की कि भारत ने अभी तक यातना के खिलाफ कन्वेंशन की अनुपुष्टि नहीं की है, और कि आज की तारीख तक भारतीय संसद ने यातना के

खिलाफ कोई भी कानून पारित नहीं किया है. उन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय संसद यातना पर कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए यातना की रोक-थाम के लिए कानून पारित करे. वृंदा ने यह भी कहा कि द्वन्द/टकराहट वाले इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकारों के हनन के लिए दंडमुक्ति लगातार जारी है, और इसके अलावा **सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958** [Armed Forces (Special Powers) Act 1958] को रद्द करने की तमाम सिफारिशों को नज़रंदाज़ किया जा रहा है, जो मानव अधिकार परिषद् के सदस्य राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र की संधि संस्थानों, और विशेष रप्पोर्तेऔर्स द्वारा दी गयीं हैं. छत्तीसगढ़ से आने वाली रपटें और भी परेशान करने वाली हैं, जहाँ पुलिस और सुरक्षा बालों द्वारा महिलाओं पर यौन हमले और पुरुषों को गैर-न्यायिक मौतों के घाट उतार दिया जाता है; और उन वकीलों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यानों पर पुलिस और प्रसाशन द्वारा निशाना साधा जाता है, जो इन मानव अधिकारों के घोर हनन के मामलों को उजागर करते हैं; उन्होनें महत्त्व देते हुए बताया कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बहुत व्यापक और व्यवस्थित तौर पर घटित होती है, और कि यहाँ आधी जनसँख्या के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण है.

उन्होनें इशारा किया कि “असहमति, मतभेद, और बहुलता के खिलाफ सतर्कता-भीड़ के माध्यम से सड़कों पर और ऑन–लाइन पर खुला राग अलापने के ज़रिये भय और नफरत के माहौल को व्यवस्थित तौर पर

बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जनतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. विचार, भोजन सम्बन्धी आदतों, धार्मिक व्यवहार, यौन सम्बन्धी सोच-विचार जैसी मौलिक आज़ादी का सुस्पष्ट गला घोंटना एक गंभीर चिंता का कारण है, खासकर जब उन्हें राजनेताओं से समर्थन मिले".

अन्य वक्ताओं में श्री मिळून कोठारी, जो पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के राप्पोर्तयूर रहे हैं; श्री पॉल दिवाकर, महासचिव, दलितों के मानव अधिकारों के राष्ट्रिय अभियान, और सुश्री माजा दारूवाला, कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की वरिष्ठ सलाहकार मौजूद थे.

रपट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य जिनको उजागर किया गया है:

- भारत में विश्व के सबसे अधिक भूखे लोग रहते हैं, जो १९ करोड़ ४६ लाख अल्पपोषित हैं;
- विश्व के सबसे अधिक आवासहीन और भूमिहीन लोग यहाँ हैं;
- विश्व के सबसे अधिक कुपोषित और भूखे बच्चे हैं;
- ५६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं;
- विश्व के गरीबों में से ३० प्रतिशत भारत में हैं; और ५ से १४ वर्ष की आयु के १ करोड़ २ लाख श्रमिक बच्चे भारत में हैं.
- जेलों में ६८ प्रतिशत कैदी मुकदमा शुरू होने के पहले से ही हिरासत में हैं;

- उच्च अदालतों में स्वीकृत पदों में प्रतेक तीसरा पद और निचली अदालतों में प्रतेक चौथा पद खाली है;
- सन २०१४ में ५,६५० किसानों ने आत्महत्या की, यानि कि १५ किसानों ने प्रतिदिन;
- सन २००५ और २०१५ के बीच ४० से अधिक सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की रपटें मिलीं, और इनके अलावा २५० से भी अधिक आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले हुए या उन्हें सताया गया;
- म्रत्युदंड पर विलंबन के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वोट डाला;
- नवम्बर २०१५ में मानव अधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रस्ताव को पारित करने भारत ने खिलाफत की;
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की सबसे लंबित रपट जो पेश होनी बाकी है वह मानव अधिकार समिति को देनी है, जिसे इसके पहले सन १९९५ में पेश किया गया था.

इस रपट में कुछ सिफारिशें जो शामिल हैं:

Some of the recommendations in the report are:

* भारत को आवास के अधिकार पर एक कानून लागू करना चाहिए;
* एक राष्ट्रीय भूमि-सुधार कानून लागू करना चाहिए, जिसमें भूमिहीनों,

खासकर अनूसूचित जाति /जन-जाति और महिलाओं को भूमि देना सुनिश्चित करना चाहिए;

* एक कानून लागू कर सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रतारणा और हमलों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए;

* विस्सल-ब्लोअर (सच को उजागर करने वाला) की सुरक्षा कानून में संशोधनों को प्रतिगामी प्रभाव से वापस लेना चाहिए और उसका विस्तार कर सूचना के अधिकार का उपयोग करने वालों की सुरक्षा को इसमें शामिल करना चाहिए;

* सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट को बढाकर सकल घरेलु उत्पात का ५ प्रतिशत करना चाहिए.

* अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन क्रमांक १८९ की अभिपुष्टि कर घरेलु कामगारों के लिए हर प्रकार के शोषण से सुरक्षा के इंतजाम हों, और उनके न्यूनतम वेतन, उचित काम की दशा सुनिश्चित हो;

* परंपरागत ज्ञान और परंपरागत संसाधनों की जैविक लूट-घसोट को रोका जाए;

* यातना के खिलाफ कन्वेंशन की अभिपुष्टि करना चाहिए;

* बलपूर्वक गम किये जाने के खिलाफ कन्वेंशन की अभिपुष्टि करना चाहिए;

* जुवेनाइल जस्टिस कानून की समीक्षा कर उसे भारत के संविधान के सिधान्तों और यू.एन.सी.आर.सी. के अनुकूल बनाना चाहिए.

* इसके आलावा भारत सरकार को मानव अधिकार रक्षकों की सुरक्षा हेतु एक कानून लागू करना चाहिए;

* दिसम्बर २०१३ में भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर **सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011** "Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Act, 2011" को लागू करना चाहिए, और साथ ही आतंक सम्बन्धी प्रकरणों में बरी हुए सभी व्यक्तियों के सम्मानजनक प्रतिपूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए;

* ऍफ़.सी.आर.ए. के उन सभी प्रावधानों को रद्द करना चाहिए जो संघ बनाने की आजादी पर लगाम लगते हैं जो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उत्तरदायित्यों का हनन हैं.